बिहार सरकार

समाहरणालय, खगड़िया

ई-मेल -dm-khagaria.bih@nic.in, generalsectionkhagaria@gmail.com
वेबसाईट :- https://khagria.nic.in
दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

श्री कृष्णानन्द आर्य, पे0—स्व0 केदार प्रसाद केशरी, ग्राम+पो0—बेलासिमरी, थाना+जिला—खगड़िया द्वारा सूचना दी गई है कि उनके पिता केदार प्रसाद केशरी की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के नाम से बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0—12/1971 (खगड़िया थाना) पर धारित बन्दूक को थाना में जमा करने हेतु अनुमति की माँग की गई है। इस संबंध में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 342/जी0, दिनांक 19.05.2020 द्वारा स्व0 केशरी के बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0—12/1971 (खगड़िया थाना) को रद्द करते हुए श्री आर्य को आदेश दिया गया था कि वे संबंधित बन्दुक सं0—$\frac{1449}{1221\,A/2}$ को सदर थाना के मालखाना में जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका कार्यालय में जमा करें। आवेदक श्री आर्य द्वारा थाना द्वारा बन्दुक जमा नहीं लिये जाने की सूचना दिये जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 527, दिनांक 25.08.2020 द्वारा थानाध्यक्ष, खगड़िया से शस्त्र जमा लेने की कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया। पु0नि0—सह—थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगड़िया के डी0आर0 नं0—718/20, दिनांक 19.09.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके थाना के मालखाना के प्रभारी पुलिस अवर निरीक्षक का स्थानान्तरण अन्यत्र जिला हो जाने एवं मालखाना का प्रभार नहीं होने के कारण शस्त्र जमा लेने में कठिनाई है, शस्त्र को अन्यत्र जमा करने की मांग की गई है।

अतः उक्त के आलोक में अनुज्ञप्तिधारी स्व0 केदार प्रसाद केशरी के पुत्र श्री कृष्णानन्द आर्य को आदेश दिया जाता है कि अपने पिता के बन्दूक अनुज्ञप्ति सं0—12/1971 (खगड़िया थाना) पर धारित बन्दूक सं0—$\frac{1449}{1221\,A/2}$ को मे0 डिलक्स आर्म्स को0, विश्वनाथगंज, खगड़िया के प्रतिष्ठान में जमा करें एवं उसके उपरान्त प्राप्ति रसीद एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिशिचित करें। तदोपरान्त जिला शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक IV-03/2020 624 /जी0, दिनांक 05.10.2020

प्रतिलिपि :— संबंधित आवेदक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई—मेल भेजने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

3/10/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया